



फा. सं: 1-3/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/7153-59
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Accredited by NAAC with 'A+' Grade with CGPA of 3.42
(सामान्य प्रशासन/General Administration)



धर्मशाला - 176215,

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के अनुसार अधिसूचना सं. 1-3/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/6721-27 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय की वित्त समिति में निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है:

क्र. सं.	परिनियम 17 के उपवाक्य	की हैसियत से	सदस्य का पदनाम एवं नाम	सदस्यता की अवधि
1.	1(i)	कुलपति, हि.प्र.के.वि.	जो भी वित्त समिति की बैठक के समय कुलपति के पद पर पदासीन हो (अध्यक्ष)	पदेन अध्यक्ष
2.	1(ii)	प्रति कुलपति, हि.प्र.के.वि.	जो भी वित्त समिति की बैठक के समय प्रति कुलपति के पद पर पदासीन हो	पदेन सदस्य
3.	1(iii)	कोर्ट द्वारा नामित एक सदस्य	प्रो. दीपक राज गुप्ता (से.नि.) जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू मो: 9419141318	16.12.2024 से 15.12.2027
4.	1(iv)	कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित तीन सदस्य जिनमें से एक कार्यकारिणी परिषद का सदस्य हो	- श्री ज्ञान चंद रायता, सेवानिवृत्त, वित्त अधिकारी, एचपीयू, शिमला मो. 8988112100 - डॉ. दीनदयाल वर्मा, सेवानिवृत्त, सहायक कुलसचिव, एच.पी.यू. शिमला मो. 9418878614 - प्रो. नागेश ठाकुर, प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला Email - ntb668@yahoo.co.in	25.11.2022 से 24.11.2025 29.07.2022 से 28.07.2025
5.	उपवाक्य 1(v)	वीज़िटर द्वारा नामित तीन सदस्य	- संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा इसके वित्त ब्यूरो (के.वि.) से उनके/उनकी नामिती, जो अवर सचिव के स्तर से कम न हों। - संयुक्त सचिव (के.वि.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा प्रशासनिक ब्यूरो से उनके/उनकी नामिती, जो अवर सचिव के स्तर से कम न हों। - संयुक्त सचिव (के.वि.), यू.जी.सी. अथवा अध्यक्ष, यू. जी.सी. द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से कम न हों।	पदेन सदस्य
6.	उपवाक्य 1(vi)	वित्त अधिकारी	जो भी वित्त समिति की बैठक के समय वित्त अधिकारी के पद पर पदासीन हो	सदस्य सचिव

(प्रो. सुमन शर्मा)
कुलसचिव

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2024

पृष्ठांकन: समसंख्या

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:

- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001.
- अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001.
- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली - 110002.
- संयुक्त सचिव, (CU), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली - 110002.
- वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
- उपरोक्त वर्णित सभी सदस्य।
- सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय-कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव